न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्या: 72/2018 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2018/00116

1. ओमरतन उर्फ रतन औम पुत्र महीपाल जाट
2. बृजमोहनी पुत्री महीपाल जाट
3. जयप्रकाश पुत्र महीपाल जाट
4. सुमित्रा देवी पुत्री महीपाल जाट
5. गौरीशंकर पुत्र स्व. विमला पुत्री महीपाल जाट

निवासीगण चक 15 के.एन.डी.(ए) तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. चावली पत्नि हंसराज बिश्नोई निवासी चक 13 के.एन.डी.(बी) तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत चक 17 के.एन.डी.(ए) तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री जयचन्द लाल सारस्वत अभिभाषक अपीलांट्स
श्री सुरेश कुमार शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट्स सं. 1

निर्णय

दिनांक 04.04.2023

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना के आदेश दिनांक 19.04.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– अपीलांट के पिता श्री महीपाल पुत्र धीराराम जाट निवासी कोहला के नाम से चक 15 केएनडी–ए तहसील घड़साना प.नं. 232/25 के किला नंबर 15 ता 25 की 2.783 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि थी, जो केन्द्रीय सहकारी बैंक रावला के पक्ष में रहन होना मानकर ऋण की अदायगी नहीं किया जाना मानकर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उक्त कृषि भूमि को कुर्क कर नीलाम कर दिया गया एवं नीलामी में बोलीदाता रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम से बैयनामा शाखा प्रबंधक द्वारा पंजीकृत करवा दिया गया। उक्त बैयनामें के आधार पर पटवार हल्का ने रिपोर्ट सरपंच, ग्राम पंचायत 17 के.एन.डी. के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की, जिसे सरपंच ने स्वीकृत कर दिया। सरपंच ग्राम पंचायत 17 के.एन.डी. के उक्त नामान्तरकरण संख्या 76 के विरूद्ध अपीलांट्स ने अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए दिनांक 19.04.2017 को अपीलांट्स की अपील को खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 19.04.2017 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2— अभिभाषक अपीलांट श्री जयचंद लाल सारस्वत ने मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को मियाद के अन्दर शुमार करने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 में वर्णित तथ्यों को सही एवं उचित मानते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता हैं।

3— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री जयचन्द लाल सारस्वत ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कर अवगत कराया कि वादगत भूमि महीपाल पुत्र धीराराम जाट के नाम दर्ज रिकार्ड रही है जो अपीलांट संख्या 1 ता 4 के पिता एवं अपीलांट संख्या 5 के नाना है जिनकी मृत्यु दिनांक 25.04.2005 को हो चुकी हैं। जैर अपील रकबा को केन्द्रीय सहकारी बैंक रावला के अधीन धोखाधड़ी से बिना महीपाल की जानकारी के "गारंटी स्वरूप" रहन दर्ज कर दी। तत्पश्चात् कागजों में उसे कुर्क दिखाकर नीलामी के जरिये बैंक द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 चावली के पक्ष में दिनांक 28.08.2004 को बैयनामा पंजीबद्ध करवा दिया, जिसके आधार पर चावली ने मौके पर कब्जा करने का प्रयास किया तो उक्त सारी फर्जी कार्यवाही का ज्ञान हुआ, तत्काल ही सिविल न्यायालय मे उक्त बैयनामा निरस्ती का दावा पेश कर दिनांक 01.10.2004 को दोनो पक्षों को सुनकर न्यायालय द्वारा यथास्थिति का स्थगन आदेश जारी कर दिया जो आज भी प्रभावी है।

अपीलांट के पिता महीपाल द्वारा संबंधित तहसीलदार के समक्ष उक्त स्थगन आदेश की प्रति के साथ एक प्रार्थना पत्र पेश कर क्रेता चावली के पक्ष में इंतकाल दर्ज नहीं करने हेतु निवेदन किया, जिस पर तहसीलदार द्वारा आगामी कार्यवाही रोक दी। महीपाल की मृत्युपरांत सिविल न्यायालय में कार्यवाही चलती रही। दौराने कार्यवाही ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेन्ट चावली देवी ने पटवारी हल्का से

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मिलीभगत कर सरपंच ग्रा.पं. 17 के.एन.डी. (ए) से इंतकाल संख्या 76 दिनांक 05.10.2004 को ही स्वीकृत करवा लिया है, जिसकी जानकारी होते ही उपखण्ड अधिकारी घडसाना के समक्ष अन्दर मियाद अपील पेश की एवं सिविल न्यायालय में "कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट" की कार्यवाही की गई। अधिनस्थ न्यायालय ने तथ्यों के विपरीत मियाद के बिन्दु पर ही अपील को निरस्त कर दिया। सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 26.10.2004 तक यथास्थिति होते हुए भी सरपंच द्वारा दिनांक 05.10.2004 को इंतकाल स्वीकृत कर दिया। इसके समर्थन में माननीय उच्चतर न्यायालयों की विभिन्न नजीरें पेश हैं:–

आरआरडी	पेज संख्या
RRD 1993	502
RRD 1998	319 (उच्च न्यायालय)
RRD 1991	492
RRD 1996	457 (बी)
RRD 1992	17

इसके अलावा मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपीलांट ने शपथ पत्र पेश किया, जिसका प्रतिपक्षी ने कोई भी काउंटर शपथ पत्र पेश नहीं किया। मौके पर आज भी कब्जा अपीलांट का है, बतौर सबूत पानी की पर्ची संलग्न है व मामले में आज भी स्थगन प्रभावी हैं। उपरोक्त के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल संख्या 76 दिनांक 05.10.2004 सरपंच ग्रा.पं. 17 के.एन.डी.(ए) एवं आदेश दिनांक 19.04.2017 निरस्त किया जाकर स्थगन आदेश दिनांक 01.10.2004 के दिन की स्थिति बहाल कर रकबा महीपाल पुत्र धीराराम के नाम दर्ज कर विरासतन इंतकाल दर्ज करने की कार्यवाही के आदेश तहसीलदार रावला के नाम प्रदान करें।

4– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट श्री सुरेश कुमार शर्मा ने अपनी लिखित बहस द्वारा अवगत कराया कि बैंक द्वारा मेरे हक में उक्त जमीन का बैयनामा जो कराया गया, उसके खिलाफ अपीलांट्स को ट्रिब्यूनल कोर्ट मे जाना चाहिये था लेकिन गये नहीं, जिससे आज दिन तक मेरा बैयनामा बरकरार है तथा इसी के मध्यनजर इंतकाल दर्ज किया गया है। जब इस जमीन का बैयनामा केन्द्रीय सहकारी बैंक रावला ने मेरे हक में कर दिया है, जरिये नीलामी तब स्व. महीपाल व अपीलांट्स का इस जमीन बाबत कोई अधिकार नहीं रह जाता है। अपीलांट्स

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

के पिता व अपीलांट संख्या 5 के नाना की तरफ से सिविल न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश अनूपगढ़ के समक्ष एक दावा महीपाल बनाम रामनिवास किया गया जो 2004 में किया गया था। दिनांक 25.04.2005 को महीपाल का स्वर्गवास होने पर अपीलांटस बतौर जायज वारिस बने व मुकदमा में पैरवी की। अपीलांट्स अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जरिये अपील लगभग 12 वर्ष बाद प्रस्तुत हुए तथा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध भी वर्ष 2018 में मियाद बाहर उपस्थित हुए, जबकि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट्स एवं उसके वकील को उस वक्त जानकारी थी। चूंकि इंतकाल संख्या 76 रेस्पोडेंट के हक में जरिये बैयनामा केन्द्रीय सहकारी बैंक रावला द्वारा कराया गया है जो बरकरार हैं तथा उसके खिलाफ आज दिनांक तक अपीलांट्स ने किसी ट्रिब्यूनल कोर्ट में कोई कार्यवाही नहीं की। अतः उपरोक्त तथ्यों के ध्यान में रखते हुए अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

मियाद बाबत नजीरें निम्नलिखित हैं:–

आरआरडी 1984 261/262	11 साल बाद अपील दायर की गयी, आरएए अपील खारिज करने के कारण की दफा 5 प्रार्थना पत्र वेग था, कारण संतोषजनक नहीं थे, जहां विपक्षी की अमूल्य अधिकार प्राप्त हो गये हो, उसे वेग दरख्वास्त पर वंचित नहीं किया जा सकता।
आरआरडी 1984 /262	आरआरडी 1991/164, आरआरडी 1999/98, मियाद दफा 5 का पहले निर्णय किये जाने बाबत।
आरआरडी 1989 /284	दफा 5 मियाद में जो जानकारी बतायी उसके पूर्व से ही इसका ज्ञान था, फायदा नहीं दिया जा सकता।
आरआरडी1991 164(बी)	संतोषजनक ग्राउण्ड नहीं दिये गये फायदा नहीं दिया जा सकता क्योंकि विपक्षी पार्टी को अमूल्य अधिकार प्राप्त हो गये हो वहां मियाद का फायदा नहीं दिया जा सकता।
आरआरडी 1990/545	जिसकी नोलेज बतायी उसका शपथ पत्र देने (पटवारी की नोलेज बतायी) बाबत।
आरआरडी 1994/697	मियाद जो बतायी वह रिकार्ड से मेल नहीं खाती, मियाद का फायदा नहीं दिया जा सकता।
आरआरडी 2008/383	म्यूटेशन तो दर्ज होगी क्योंकि यह बैयनामा के आधार पर दर्ज हुआ है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की लिखित बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.04.2017 पारित करते समय गुणावगुण पर विचार किये बिना ही केवल मात्र मियाद को ही आधार बनाकर अपील को खारिज कर दिया, जो कि न्यायोचित नहीं है।

अतः अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.04.2017 निरस्त किया जाकर पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि अधिनस्थ न्यायालय उक्त प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर दोनो पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

6— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.04.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर